न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –858 / 2022

अनवान : –

1. याजत पुत्र अब्दुल माजिद खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. वेद प्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. ईशाक पुत्र दावत जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. जाफर पुत्र दावत जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. श्योलाल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मांगेराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 5/01/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 31 / 32 के ख0न0 43 की 2.9840 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 31 / 32 के ख0न0 43 की 2.9840 हैक्ट भूमि है जिसमें वादी स0 1 अकेला 10329 / 298400 हिस्सा, वादी स0 2 अकेला 38971 / 298400 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 293 / 746 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 अकेला 1107 / 2984 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 अकेला 529 / 14920 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 अकेला 531 / 14920 हिस्सा भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता मुश्तरका है तथा वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में अपने हक हक व हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। मुश्तरका खाता होने के कारण हमेशा सींव व लगान संबंधित विवाद रहता है इसलिए वादी मुताबिक अच्छी माड़ी भूमि के हिसाब से रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 31 / 32 के ख0न0 43 की 2.9840 हैक्ट भूमि में मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी को कई बार कहा कि विवादित भूमि का खाता व लगान अच्छी व मंदी के हिसाब से अलग करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस सम्यक रूप से तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादी स0 1 व 2 उपस्थित नही और न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी स0 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ब्राहमणवासी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 31/32 प्रदर्श–1, खसरा नक्शा प्रदर्श–2 आदि प्रदर्शित करवायें। है। वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि को पक्षकारान के द्वारा मुताबिक बाहमी बंटवारा अपने–अपने अलग अलग काश्त करते आ रहे है अतः तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 31/32 के ख0न0 43 की 2.9840 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद वादी साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 31/32 की कुल 2.9840 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. याजत पुत्र अब्दूल मजिद खां सम्पूर्ण हिस्सा जाति मुसलमान सा0 मन्दरपुरा खातेदार ख0न0 43/1 की 0.10329 बारानी

2(1) ईशाक पुत्र दावत हिस्सा 117200/288071 जाति मुसलमान साकिन नोहर खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर

2(2) जन्त कुरैशी पत्नी मुश्ताक कुरैशी हिस्सा 25300/288071 जाति कुरैशी मुसलमान सा0 रावतसर खातेदार

2(3) जाफर पुत्र दावत हिस्सा 85400/288071 जाति मुसलमान सा0 नोहर खातेदार

2(4) लक्ष्मीनारायण पुत्र जगराम हिस्सा 10580/208071 जाति जाट सा0 धीरवास बड़ा तहसील तारानगर।

2(5) वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल 38971/288071 जाति सिन्धी साकिन नोहर तहसील नोहर।

2(6) श्योलाल पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा 10620/[illegible] जाति जाट सा0 जबरासर तहसील नोहर।

ख0न0 43/2 की 2.88071 हैक्ट बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी

बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:38 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –858/2022

अनवान : –

1. याजत पुत्र अब्दुल माजिद खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. वेद प्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. ईशाक पुत्र दावत जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. जाफर पुत्र दावत जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. श्योलाल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 858 सन 2022 निर्णय दिनांक 5/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व पेरोकार राज की उपस्थिति निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर डिक्री अंतिम डिक्री किया रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 31/32 की कुल 2.9840 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. याजत पुत्र अब्दूल मजिद खां सम्पूर्ण हिस्सा जाति मुसलमान सा0 मन्दरपुरा खातेदार ख0न0 43/1 की 0.10329 बारानी

2(1) ईशाक पुत्र दावत हिस्सा 117200/288071 जाति मुसलमान साकिन नोहर खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर

2(2) जन्न्त कुरैशी पत्नी मुश्ताक कुरैशी हिस्सा 25300/288071 जाति कुरैशी मुसलमान सा0 रावतसर खातेदार

2(3) जाफर पुत्र दावत हिस्सा 85400/288071 जाति मुसलमान सा0 नोहर खातेदार

2(4) लक्ष्मीनारायण पुत्र जगराम हिस्सा 10580/208071 जाति जाट सा0 धीरवास बड़ा तहसील तारानगर।

2(5) वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल 38971/288071 जाति सिन्धी साकिन नोहर तहसील नोहर।

2(6) श्योलाल पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा 10620/288071 जाति जाट सा0 जबरासर तहसील नोहर।

ख0न0 43/2 की 2.88071 हैक्ट बारानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी

बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:38 IST
Reason: SelfAttested